178/2016

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 178/2016 अनवानी राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवानदास गोयल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र0), श्रीगंगानगर

10-04-2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 20.10.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर से चाही गई 3 बिन्दुओ की सूचना उनके द्वारा जान बूझकर उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 20.10.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थी:-

1. राज्य सरकारी व बैंक कर्मकार चुनाव के समय एक मतदाता के द्वारा अपना पता श्रीगंगानगर में बताकर मतदाता के रूप में नाम मतदाता सूची में अंकित करवाने के उपरान्त यदि वह 10 वर्ष से अधिक समय तक बताये हुए गंगानगर के पते पर नही निवास कर रहा है तो ऐसी स्थिति मे सर्वे के समय उनका नाम मतदाता सूची से विलोपित चुनाव अधिकारी द्वारा किया जाना कानूनन आवश्यक है। इस बाबत सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. चुनाव के समय बी.एल.ओ या चुनाव अधिकारी द्वारा मतदाता सूची का सर्वे का काम प्रारम्भ करने पर बी.एल.ओ या चुनाव अधिकारी द्वारा घर घर जाकर नये मतदाता को जोडा या किसी मतदाता के स्थानान्तरण होने पर उसका नाम मतदाता सूची से हटाया जाने इत्यादि का कार्य किया जाता है इस बाबत सूचना।
3. मतदाता द्वारा अपना स्थाई पता पर मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के उपरान्त चुनाव विभाग द्वारा उसका नाम मतदाता सूची से विलोप्ति स्वयं विभाग द्वारा जिन परिस्थितियों व नियमों के अधीन किया जाता है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 1957 दिनांक 21.12.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही सूचना उनके कार्यालय के पत्र सं0 1865 दिनांक 18.11.2016 के द्वारा पंजिकृत डाक से प्रार्थी को समय पर उपलब्ध करवा दी गई थी। इसलिए अपील खारिज की जावे।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

178/2016
178/2016
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
A3/2

 अपील सूचना अधिकार संख्या 178/2016

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) श्रीगंगानगर द्वारा पत्र सं0 [illegible] दिनांक 18.11.2016 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया है:–

बिन्दु संख्या	प्रश्न	उत्तर
1.	राज्य सरकारी व बैंक कर्मकार चुनाव के समय एक मतदाता के द्वारा अपना पता श्रीगंगानगर में बताकर मतदाता के रूप में नाम मतदाता सूची में अंकित करवाने के उपरान्त यदि वह 10 वर्ष से अधिक समय तक बताये हुए गंगानगर के पते पर नही निवास कर रहा है तो ऐसी स्थिति मे सर्वे के समय उनका नाम मतदाता सूची से विलोपित चुनाव अधिकारी द्वारा किया जाना कानूनन आवश्यक है। इस बाबत सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।	जहां तक आप द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाये जाने का प्रश्न है राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह नमूने मॉडल संबधी सामग्री शामिल है। लोकसूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नो के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है चूकि खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकार के तहत नही आता है।
2.	चुनाव के समय बी.एल.ओ या चुनाव अधिकारी द्वारा मतदाता सूची का सर्वे का काम प्रारम्भ करने पर बी.एल.ओ या चुनाव अधिकारी द्वारा घर घर जाकर नये मतदाता को जोडा या किसी मतदाता के स्थानान्तरण होने पर उसका नाम मतदाता सूची से हटाया जाने इत्यादि का कार्य किया जाता है इस बाबत सूचना।	
3.	मतदाता द्वारा अपना स्थाई पता पर मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के उपरान्त चुनाव विभाग द्वारा उसका नाम मतदाता सूची से विलोप्ति स्वयं विभाग द्वारा जिन परिस्थितियों व नियमों के अधीन किया जाता है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।	

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना कोई निश्चित व स्पष्ट सूचना नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक

कलैक्टर
गंगानगर

178/2016
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

AB/3

सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उतर दिनांक 18.11.2016 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगरएवं अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 10.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर